इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 25, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11/12 दिसम्बर 2022

क्र. सी—6377.— मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (1958 का क्रमांक—19) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में अध्याय—30 में, नियम 594 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

594. **न्यायिक अधिकारियों हेतु गणवेश**—(1) सभी पुरुष न्यायिक अधिकारीगण प्लेन सफेद कॉलर वाली कमीज (शर्ट), सफेद बैंड, प्लेन काला कोट या प्लेन काला बटन वाला कोट, बैरिस्टर स्ट्रिप्ड (बार एट लॉ) अथवा प्लेन काली या प्लेन सफेद पतलून, काला गाउन और काले जूते मोजे पहनेंगे.

(2) सभी महिला न्यायिक अधिकारीगण सफेद कालर वाले ब्लाउज के साथ प्लेन सफेद साड़ी या सफेद कॉलर वाली कमीज़ के साथ सफेद बैंड व प्लेन सफेद सलवार, प्लेन काला कोट, काला गाउन और काले जूते मोजे या काले रंग की अन्य पादुकाएं (फुटवियर) पहनेंगी. यदि ब्लाउज या कमीज़ बिना कॉलर वाली हो तो, वे प्लेन सफेद कॉलर के साथ सफेद बैंड पहनेंगी :

परंतु यह कि संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा लिखित निवेदन किए जाने पर उच्च न्यायालय इस नियम में ऐसी सीमा तक या ऐसी अवधि तक परिवर्तन किए जाने पर विचार कर सकता है, जो उचित हो.

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

No. C-6377.– In exercise of powers conferred by Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :-

AMENDMENT

In the said rule, in chapter XXX, for Rule 594, the following rule shall be substituted namely :-

594. Uniform for Judicial Officers- (1) All male judicial officers shall wear plain white collared shirt, white band, plain black coat or plain black buttoned up coat, barrister striped (bar-at-law) or plain black or plain white trouser, black gown and black shoes with socks.

(2) All lady judicial officers shall wear plain white saree with white collared blouse or plain white salwar with white collared kameez, white band, plain black coat, black gown and black shoes with socks or other footwear in black colour. If blouse or kameez is without collar, then she shall wear a plain white collar with white band :

Provided that on a written request by the concerned principal district judge, the High Court may consider modification of this rule to such an extent or to such a period as considered appropriate.

RAMKUMAR CHAUBEY, Registrar General.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

फा.क्र. 4850–इक्कीस–ब(एक)–2022.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"17. **प्रतिज्ञान की शपथ.**– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित प्रारूप में प्रतिज्ञान की शपथ लेगा :–

"मैं. मध्यप्रदेश राज्य की न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने पर, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि, मैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, यह कि मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा.".

2. उक्त नियमों में नियम 11 में उप–नियम (ख) में, शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "चार" स्थापित किया जाए.

F.No. 4850-XXI-B(One)-2022.– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,

1. For rule 17, the following rule shall be substituted, namely :-

"**17. Oath of Affirmation**.- Every person, appointed to the service, shall make and subscribe before such person as may be specified by the Chief Justice, Oath of affirmation in the following form :-

"I, ..., having been appointed as a Civil Judge in the Judicial Service of the State of Madhya Pradesh, do swear in the name of God/solemnly affirm, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the Law.".

2. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (b), for the word "Three", the word "Four", shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. 581 जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 575 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"575. इस पंजी में निम्नलिखित मामले पंजीबद्ध किए जाएंगे तथा उच्च न्यायालय के आदेश के बिना उसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी :–

संहिता के अधीन मामले.–

(1) अध्याय 6 के अधीन साक्षियों के विरूद्ध कार्यवाहियाँ (उद्घोषणा एवं कुर्की)।

(2) धारा 97 के अधीन कार्यवाहियाँ (सदोष परिरूद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी)।

(3) धारा 98 के अधीन कार्यवाहियाँ (अपहृत की गई स्त्रियों को वापस करना)।

(4) अध्याय 8 के अधीन कार्यवाहियाँ (परिशांति कायम रखने के लिए तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति)।

(5) अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियाँ (पत्नी, संतान और माता–पिता का भरण पोषण)।

(6) अध्याय 14 के अधीन कार्यवाहियाँ (धारा 195 में वर्णित अपराधों के लिए अभियोजन)।

(7) धारा 250 के अधीन संक्षिप्ततः व्यवहृत तुच्छ और तंग करने वाला दोषारोपण।

(8) धारा 299 के अधीन कार्यवाहियाँ (साक्ष्य के अभिलेखन की कार्यवाहियाँ जबकि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है अथवा अपराधी अज्ञात है)।

टीप1: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के अधीन विविध कार्यवाहियाँ पंजीबद्ध की जाएगी, जबकि–

(क) विचारण के लिए किसी भी अभियुक्त को नहीं लाया गया, या

(ख) कई अभियुक्त व्यक्तियों में से एक या अधिक फरार हो गए हैं तथा इस बात के साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण अनुचित रूप से विलंबित किए बिना फरार व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की निकट संभावना नहीं है।

टीप2: अन्य मामलों में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 के अधीन कार्यवाहियाँ मूल मामले का भाग होंगी।

(9) न्यायालय अवमान के कतिपय मामलों में धारा 345 के अधीन कार्यवाहियाँ।

टीप.– अभियुक्त के विरूद्ध विशिष्ट अपराध के लिए लगाए गए आरोप की प्रविष्टि मूल मामलों की पंजी में की जाएगी।

(10) धारा 349 के अधीन कार्यवाहियाँ (उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियाँ)।

(11) धारा 408 से 410 के अधीन मामलों के अन्तरण हेतु आवेदन।

(12) अध्याय 32 के अधीन जुर्माने की वसूली और प्रतिकर/खर्चा/ईनाम के संदाय की कार्यवाहियाँ (शास्ति वसूली की कार्यवाहियाँ)।

(13) अध्याय 33 के अधीन कार्यवाहियाँ (जमानत या मुचलके का समपहरण)।

(14) धारा 452, 454 तथा 457 के अधीन सम्पत्ति के व्ययन की कार्यवाहियाँ।

टीप.– धारा 454 के अधीन आवेदन विविध आपराधिक मामले के रूप में केवल तभी पंजीबद्ध किया जाएगा जबकि दोषसिद्धि के मूल आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत न की गई हो।

(15) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 अथवा किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन छोड़े गए अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाहियाँ।

(16) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 138 (4) के अधीन कार्यवाहियाँ।

(17) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अधीन कार्यवाहियाँ।

(18) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन कार्यवाहियाँ।

(19) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अधीन कार्यवाहियाँ ।

(20) ऐसे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए कार्यवाहियाँ जिन्हें उनके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

(21) किसी भी लघु दाण्डिक केन्द्रीय अथवा मध्यप्रदेश अधिनियमों के अधीन सभी अन्य कार्यवाहियाँ अथवा किसी संविधि के अधीन आपराधिक प्रकृति का कोई आवेदन, जो किसी कार्यवाही के अन्तर्वर्ती न हो, उपरोक्त उल्लिखित किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी जो किसी अपराध के विचारण की कोटि में न आते हों परन्तु न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाने हों।"।

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

No. 581 Jabalpur, the 7th December 2022

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 477 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 575, the following rule shall be substituted, namely :-

"575. The following cases shall be entered in this register and without the order of the High Court no addition shall be made there to :-

Cases under the Code.-

(1) Proceedings against witnesses under chapter VI (proclamation and attachment).

(2) Proceedings under section 97 (search for persons wrongfully confined).

(3) Proceedings under section 98 (restoration of abducted female).

(4) Proceedings under Chapter VIII (security for keeping the peace and for good behavior).

(5) Proceedings under Chapter IX (maintenance of wives, children and parents).

(6) Proceedings under Chapter XIV (prosecution for offences mentioned in section 195).

(7) Frivolous or vexatious accusations summarily dealt with under section 250.

(8) Proceedings under section 299 (proceedings for recording evidence when an accused person has absconded or the offender is unknown).

Note-1: A miscellaneous proceedings under section 299 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall be registered when :

(a) no accused has been brought to trial; or

(b) one or more of several accused persons have absconded and there is an evidence available on record that there is no feasibility of immediately arresting the absconders without unreasonably delaying the trial of the accused persons present in the Court.

Note-2 : In other cases, the Proceedings under section 299 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall form part of the original case.

(9) Proceedings under section 345 for certain cases of contempt of the court.

Note : The specific offence charged against the accused shall be entered in the register of original cases.

(10) Proceedings under section 349 (proceedings against persons refusing to answer or produce document).

(11) Applications under sections 408 to 410 for transfer of cases.

(12) Proceedings for recovery of fine and payment of compensation/cost/rewards under Chapter XXXII (fine recovery proceedings)

(13) Proceedings under Chapter XXXIII (forfeiture of bails or recognizance).

(14) Proceedings for disposal of property under sections 452, 454 and 457.

Note : An application under section 454 shall be registered as a miscellaneous criminal case only when no appeal or revision against the main order of conviction is preferred.

(15) Proceedings against convicted offenders released under the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 or section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other law for the time being in force for treatment, training or rehabilitation of youthful offenders.

(16) Proceedings under sections 138(4) of the Railways Act. 1989.

(17) Proceedings under the Mental Healthcare Act, 2017.

(18) Proceedings under Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.

(19) Proceedings under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

(20) Proceedings to verify the correctness of delayed registration of births and deaths which have not been registered within one year of its occurrence under section 13(3) of Registration of Births and Deaths Act, 1969.

(21) All other proceedings under any Minor Criminal Central or Madhya Pradesh Acts or any application of a criminal nature under any statute, not being an interlocutory to any proceeding, not falling under any of the specified categories mentioned above not amounting to trial for an offence but require adjudication by the Judicial Magistrates or Sessions Judge.".

RAMKUMAR CHAUBEY, Registrar General.

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

आदेश क्रमांक 761/717/2021/18-6 दिनांक 24.08.2022 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 के भाग-एक, विनियम 5 गठन वर्गीकरण एवं वेतनमान के बिन्दु 3 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

संशोधन

अनुसूची – तीन
(विनियम-6 देखिए)

(पदों की संख्या एवं विभाजन)

अनुक्र	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	प्रस्तावित संशोधन भरे जाने वाले पदों का विभाजन				अभ्युक्तियां
			सीधी भरती	विभागीय पदोन्नति	अन्य	संविदा नियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	मुख्य संपदा अधिकारी	01	—	विभागीय पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति	संविदा नियुक्ति	1) विभागीय पदोन्नति हेतु काडर प्लानिंग अनुसार 2) राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा 3) राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति द्वारा
16	भू-प्रबंधन अधिकारी	01	—	विभागीय पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति	संविदा नियुक्ति	1) विभागीय पदोन्नति हेतु काडर प्लानिंग अनुसार 2) राज्य प्रशासनिक सेवा से अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा 3) राज्य प्रशासनिक सेवा से वरिष्ठ श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति द्वारा

चन्द्रमौली शुक्ला, आयुक्त.

Order No 761/717/2021/18-6 Dated 24-08-2022 In exercise of the powers conferred by the proviso to M.P.Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016 Part 1 point 3 of Regulation 5 Constitution, classification and Pay Scale hereby makes the following further amendment in the M.P.Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016

AMENDMENT

Schedule – III

(See regulation 6)

(No. of Posts and Division)

S. No.	Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Division/Percentage of Posts to be Filled				Remarks
			Direct Recruitment	Departmental Promotion	Others	Contractual Appointment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Chief Estate Officer	01	-	Promotion	Deputation	Contractual Appointment	1) Departmental Promotion through Cadre Planning 2) Deputation of a selection grade officer from State Administrative Services. 3) By Contractual Appointment of Retired selection grade officer from State Administrative Services.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Land Management Officer	01	-	**Promotion**	Deputation	**Contractual Appointment**	1) Departmental Promotion through Cadre Planning 2) Deputation of officer from State Administrative Services. 3) By Contractual Appointment of Retired senior grade officer from State Administrative Services.

CHANDRAMAULI SHUKLA, Commissioner.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.